सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 108 राँची, सोमवार, 14 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-136/2017 का०-1212--श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-876/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति- मृत (दिनांक 29.04.2021) के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4401(9)/रा०, दिनांक 29.08.2017 के माध्यम से आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-53/रा०गो०, दिनांक 04.10.2006 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने, बिना प्रभार सौंपे नये पदस्थापन स्थान में चले जाने, रोकड़ पंजी का सत्यापन नहीं करने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10447, दिनांक 09.10.2017 द्वारा श्री मिंज से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्री मिंज के पत्रांक-838, दिनांक 26.07.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

श्री मिंज के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7267, दिनांक 26.09.2018 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3987(9)/रा०, दिनांक 26.11.2021 द्वारा श्री मिंज के स्पष्टीकरण उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी। उपायुक्त, हजारीबाग का निम्नवत् मंतव्य गठित किया गया-

"आरोप सं०-1 से 5 के संबंध में श्री मिंज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्ठा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग द्वारा उनके काल अवधि में प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अवधि में कोई AG Audit/ अन्य Audit संबंधित प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-1 से 5 के संदर्भ में स्पष्टीकरण में स्वीकार किये गये तथ्यों से प्रतीत होता है कि रोकड़ पुस्त के संधारण में इनकी गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है। फिर भी बिहार/ झारखण्ड बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम 80ए(i) के आलोक में भविष्य में प्रत्येक माह लेखा का विहित रीति से जाँच एवं रख-रखाव के संबंध में सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए स्पष्टीकरण स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है ।"

उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सहमति संसूचित की गई एवं स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है, प्रतिवेदित किया गया है ।

इसी क्रम में, प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के पत्रांक-2092/स्था०, दिनांक 18.11.2021 द्वारा सूचित किया गया कि श्री मिंज का निधन दिनांक 29.04.2021 को हो गया है ।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के प्रावधान एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के आलोक में श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, सम्प्रति- मृत (दिनांक 29.04.2021) से संबंधित इस मामले को समाप्त किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, सम्प्रति- मृत के आश्रित एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 108 -- 50